कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2018/ 980 छिन्दवाड़ा दिनांक 24/5/18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
छिन्दवाड़ा वन वृत्त
छिन्दवाड़ा

विषय :– छिंदवाड़ा जिले के जामई वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 454 में से रकबा 14.00 हे. वनभूमि आरक्षित वनखंड 4 जामई भारत खुली खदान, फेस–2 घोरावाड़ी नं.–2 हेतु वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग में देने बाबद्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 1063 दिनांक 16.03.2018

– ууу –

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि ,पश्चिम छिंदवाड़ा सा. वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र जामई के अंतर्गत आरक्षित वन खंड 4 जामई के वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 454 रकबा 14.00 हे. वन भूमि भारत कालरी उपरीतल कोयला खदान हेतु मुख्य महाप्रबंधक वे. को. फि. लि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया हैं।

उक्त क्षेत्र में वन विकास निगम का आधिपत्य होने के कारण आपके द्वारा चाहा गया अभिमत वन विकास निगम से प्राप्त कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र :– ~~प्रपत्र~~ प्रतिवेदन

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2018/ 981 छिंदवाड़ा, दिनांक 24/5/18

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य महाप्रबंधक वे.को.फि.लि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मण्ड़ल प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ छिंदवाड़ा परियोजना मण्ड़ल खजरी रोड छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

24/5/18

Dfo_West//Shoaib//cover 2018

कार्यालय मण्डल प्रबंधक

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

छिन्दवाड़ा परियोजना मण्डल खजरी रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

फोन / फैक्स नं. - 07162-243271, ई–मेल . dmvvnchw@ yahoo.com

क्रमांक / वविनि / मा.चि. / 2018 / **छिन्दवाड़ा दिनांक -05-2018**

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
छिन्दवाडा वनवृत्त, छिन्दवाडा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय :– **छिन्दवाडा जिले के जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 454 में से 14.000 हेक्टेयर वन भूमि आरक्षित वनखण्ड 04 जामई भारत खुली खदान फेस–2 घोडावाड़ी नं. 2 हेतु वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग पर देने बाबत् पुनरीक्षित प्रतिवेदन।**

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1063 छिन्दवाडा दिनांक 16.03.2018, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 547 दिनांक 08.05.2018**

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि, जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 454 में से 14.000 हेक्टेयर वन भूमि भारत कालरी उपरीतल कोयला खदान हेतु वेस्टर्न कोल्ड फील्डस् लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग पर देने हेतु संदर्भांकित पत्र से प्रतिवेदन चाहा गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 28.06.1995 को वन कक्ष क्रमांक 454 (रकबा 140.000 हेक्टेयर) का वन विभाग एवं वन विकास निगम के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर, कक्ष को प्रभार में लिया गया। प्रभार सूची की **छायाप्रति संलग्न** है।
2. तत्पश्चात् 454 में वर्ष 1996 में 140.000 हेक्टेयर ग्रास एवं 105.000 हेक्टेयर नेट क्षेत्र में सागौन वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें कुल 262500 पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण की जानकारी एवं रोपण मानचित्र की **छायाप्रति संलग्न है।**
3. कक्ष 454 की सीमा का अक्षांश, देशांश विवरण सहित कक्ष का मानचित्र **संलग्न** है।
4. कक्ष 454 में, पश्चिम (सां) वनमंडल छिन्दवाडा द्वारा वे.को.लि. संस्थान को पूर्व में दिये गये 19.500 हेक्टेयर (18.819 हेक्टेयर) क्षेत्र का अक्षांश, देशांश विवरण सहित मानचित्र **संलग्न है।**
5. कक्ष 454 में पश्चिम सामान्य वनमंडल, छिन्दवाडा द्वारा पूर्व में किये गये वृक्षारोपण क्षेत्र का अक्षांश, देशांश विवरण सहित **मानचित्र संलग्न है।** (रोपित क्षेत्र 1.525 हेक्टेयर)
6. कक्ष 454 में भारत कालरी उपरीतल कोयला खदान हेतु वेस्टर्न कोल्ड फील्डस् लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग पर लेने हेतु आवेदित 14.000 हेक्टेयर वन भूमि (13.561 हेक्टेयर) क्षेत्र के अक्षांश, देशांश विवरण सहित मानचित्र **संलग्न** है।
7. कक्ष 454 तक पहुॅचमार्ग 1.319 कि.मी. के अक्षांश देशांश विवरण सहित मानचित्र **संलग्न है।**

उक्त कक्ष 454 में वर्ष 1996 में 105.000 हेक्टेयर नेट क्षेत्र में 262500 सागौन पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, वर्तमान में छिन्दवाडा परियोजना मंडल की कार्य आयोजना निर्माण का कार्य प्रगति में है, तदनुसार उक्त कक्ष में वृक्षारोपण प्रबंधन, के अंतर्गत कूप डालकर, वानिकी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, यदि उक्त वनक्षेत्र किसी अन्य एर्जेंसी को उपयोग हेतु दिया जाता है , तो निश्चित ही वन वर्धनिक कार्य तथा परिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा।

अतः उक्त कक्ष 454 में से 14 हेक्टेयर वनभूमि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को दिया जाना उचित नहीं होगा।

पुनरीक्षित प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सधन्यवाद

(हेमंत रायकवार)
संभागीय प्रबंधक,
छिन्दवाड़ा परियोजना मण्डल,

पृ.क्रमांक / वविनि / मा.चि. / 2018 / 928 **छिन्दवाड़ा दिनांक** 18 **/ 05 / 2018**

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, **सिवनी** (भोपाल), की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
2. वनमंडलाधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमंडल छिन्दवाडा की ओर उनके पत्र क्रमांक 2402 दिनांक 04.05.2018 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय प्रबंधक,

H:\D'MAN\Letters\2018\Forest Division Letter.doc